महत्वपूर्ण एवं खास

मजदूर पर भालू ने किया प्राण घातक हमला

कांकेर (आरएनएस)। जिला मुख्यालय के रामनगर में निर्माणाधीन भवन में काम करने वाले मजदूर असादुल खान पर शुक्रवार सुबह भालू ने प्राण घातक हमला कर दिया। भालू ने मजदूर के सिर को बुरी तरह से नोंच लेने से वह गंभीर रूप से घायल है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके सिर पर 35 टांके लगाने पड़े हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मजदूर असादुल खान उम्र 28 वर्ष राम नगर में बन रहे निर्माणाधीन मकान में काम करता है। वह अन्य मजदूरों के साथ वहीं पर सोता भी है। आज सुबह असादुल जगने के बाद करीब 5 बजे भवन से बाहर निकला था, तभी भालू ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। हमले में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मजदूर की चीख सुनकर अन्य मजदूर भी नींद से उठ गए, तभी भालू कमरे में भी घुस आया। जैसे-तैसे मजदूरों ने भालू को खदेड़ा और घायल मजदूर को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल घायल मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। मजदूर के सिर पर 35 टांके लगे हैं, वहीं उसके कान और पैर में भी गहरे जख्म हैं।

नक्सलियों ने पामेड़ इलाके में सुबह से ड्रोन व हेलीकॉप्टर से बमबारी का लगाया आरोप

बीजापुर (आरएनएस)। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी कर नक्सलियों को निशाना बनाकर हवाई हमला कर बमबारी करने का आरोप लगाया है। नक्सलियों द्वारा जारी प्रेस नोट में पामेड़ इलाके में ड्रोन से हमले की बात कही गई है। उन्होने दक्षिण बस्तर के पामेड़ इलाके के भट्टिगुड़ा, कवरगट्टा, मीनागट्टा और जब्बागट्टा इलाके में आज शुक्रवार की सुबह 06 बजे से ड्रोन और हेलीकॉप्टर से बमबारी जारी रहने की बात कही गई है। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर केंद्रीय गृहमंत्री मंत्री के दौरे को इस हमले के लिए जिम्मेदार बताया है।

मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 10 को, 17 अप्रैल तक दावा - आपत्ति आमंत्रित

बीजापुर (आरएनएस)। जिले के त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 में रिक्त सरपंच एवं पंच के उप निर्वाचन के लिए विकासखंड बीजापुर के ग्राम पंचायत बुरजी विकासखंड भोपालपटनम की ग्राम सण्ड्रापल्ली, अंगमपल्ली, गोल्लागुड़ा एवं विकासखंड उसूर की ग्राम पंचायत पालागुड़ा की सूचियों का 10 अप्रैल को संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथ तहसील कार्यालय में प्रारंभिक प्रकाशन किया जाकर नि:शुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी ग्राम के मतदाता सूची में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या किसी आपत्ति करना चाहे, वह इस संबंध में अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्रारूप में 10 से 17 अप्रैल को अपरान्ह 03 बजे तक संबंधित ग्राम पंचायत संबंधित के तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता।

मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर में श्रीहनुमान जन्मोत्सव में शामिल हुए

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित हनुमान जन्मोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भगवान हनुमान को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में गुरूदेव सिद्धेश्वर ब्रम्हार्षि का छत्तीसगढ़ में अभिनंदन करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। बघेल ने दर्शक दीर्घा में बैठकर श्रद्धालुओं के साथ गुरूदेव के प्रवचन का श्रवण किया। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, विधायक सत्यनारायण शर्मा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत डॉ. रामसुन्दर दास सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सरावगी परिवार के सदस्य और बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित थे।

राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना : नगर पंचायत बरमकेला, बिलाईगढ़ और भटगांव में वार्डवार होंगे शिविर

❒ **सरिया के सभाकक्ष और सांस्कृतिक भवन में शिविर : हितग्राही 15 अप्रैल तक आवेदन जमा कर सकेंगे**

सारंगढ़-बिलाईगढ़। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिले के नगर पंचायत कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2023 निर्धारित है। नगर पंचायत सरिया अंतर्गत वार्ड 1 से 8 तक के आवेदक सांस्कृतिक भवन सरिया में और वार्ड 9 से 15 तक के आवेदक नगर पंचायत सरिया के सभाकक्ष में आवेदन जमा करेंगे। नगर पंचायत बिलाईगढ़, बरमकेला और भटगांव में दो क्लस्टर बनाए गए हैं, जो वार्डवार शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करेंगे और ऑनलाईन एंट्री करेंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को ध्यान में रखकर राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायतों एवं अनुसूचित क्षेत्र की नगर निगम और नगरपालिकाओं में किया गया है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश में इस योजना के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में हितग्राहियों से नवीन आवेदन प्राप्त कर डाटा एन्ट्री का कार्य करने के लिए समय-सारणी जारी कर दी गई है। समय-सारणी के अनुसार 'राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' के नवीन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। पोर्टल में डाटा प्रविष्टि करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2023 तक, तहसीलदार द्वारा पंजीकृत आवेदनों के निराकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 तक, आवेदनों की स्वीकृति/अस्वीकृति पश्चात ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्रों पर प्रकाशन कर दावा आपत्ति का ग्राम सभा/सामान्य सभा में निराकरण की अंतिम तिथि 8 मई 2023 निर्धारित की गई है। सामान्य सभा के निर्णय अनुसार पोर्टल में अद्यतीकरण की तिथि 14 मई 2023 तथा अंतिम सत्यापित सूची के प्रकाशन की तिथि 15 मई 2023 निर्धारित की गई है। इस योजना की पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूलनिवासियों को होगी। ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत् भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र से प्राप्त भूमि को कृषि भूमि माना जाएगा।

ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है, तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया, कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजनांतर्गत पात्र होंगें। परंतु इस वर्ग के वे परिवार जो शासन से सामायिक भत्ता, आर्थिक सहायता अन्य योजना में प्राप्त कर रहे हों, पात्र नहीं होंगे। ऐसा व्यक्ति जो कोई कृषि भूमि धारण नहीं करता और जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम करना है और उसके परिवार का जिसका की वह सदस्य है, कोई सदस्य किसी कृषि भूमि को धारण नहीं करता है। कृषि भूमिहीन परिवारों की सूची में से परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से यदि कृषि भूमि धारित है अर्थात् उस परिवार को उत्तराधिकार हक में भूमि प्राप्त करने की स्थिति होगी, तब वह परिवार भूमिहीन परिवार की सूची से पृथक् हो जाएगा। आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि, कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। अपंजीकृत परिवारों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उक्त परिवार के द्वारा पात्रता अनुसार नवीन आवेदन योजनांतर्गत प्रस्तुत किया जाना होगा। यदि पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया के द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर अनुदान सहायता राशि प्राप्त की गई हो, तब विधिक कार्यवाही करते हुए उक्त राशि उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप जाएगी।

योजना के हितग्राही के पास 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में निर्धारित पात्रता होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज यथा- आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सचिव ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण ने बेरोजगारी भत्ता के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया

सारंगढ़-बिलाईगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बेरोजगारों से वेबसाईट https://berojgaribhatta.cg.nic.in/ (बेरोजगारीभत्ता डॉट सीजी डाट एनआईसी डाट इन) के माध्यम से आवेदन आनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं। सत्यापन केन्द्रों में बेरोजगारी भत्ता के लिए प्राप्त आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया में आने वाले कठिनाइयों के संबंध में संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण ने स्पष्टीकरण जारी किए हैं। इस आशय का पत्र राज्य के समस्त कलेक्टर को भेजा गया है। जारी पत्र के अनुसार भौतिक सत्यापन के समय कुछ स्थानों पर अपलोड दस्तावेजों एवं आवेदक द्वारा लाये गये मूल दस्तावेजों में भिन्नता पाई गई है, इसके संबंध में निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा लाये गये मूल दस्तावेज को ही सही माना जाये एवं लाये गये दस्तावेज की फोटो खींचकर सत्यापन स्थल पर ही उसे अपलोड किया जाए। यदि दस्तावेज सत्यापन स्थल पर आवेदक यह बताये कि उसके द्वारा भूलवश ऑनलाईन आवेदन में कोई त्रुटि रह गई है तो सत्यापन स्थल पर ही ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर, सुधरे आवेदन का प्रिंट निकाल लिया जाए और इस प्रकार प्राप्त प्रिंट पर आवेदक के हस्ताक्षर करवा लिया जाए एवं उसे रिकार्ड पर रखा जाये।

बेरोजगारी भत्ता योजना की सत्यापन प्रक्रिया में कुछ जिलों में यह बात भी आयी कि आवेदकों ने आवेदन एक जिले में किया है, परन्तु उनका बैंक खाता किसी अन्य जिले में है। फलस्वरूप ऐसे खातों के सत्यापन में व्यवहारिक कठिनाई आ रही है। इस संबंध में यह उचित होगा कि ऐसे आवेदकों को यह विकल्प दिया जाए कि यदि वे आवेदन करने वाले जिले के ही निवासी हैं तो वे उस जिले में नया बैंक खाता खोले और उस खाते को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। नया खाता खुलवाने में जिला प्रशासन आवेदक की सहायता करेगा अर्थात् आवेदक को आवेदन वाले जिले में नया बैंक खाता खुलवाना होगा। यदि आवेदक ने अन्य जिले का बैंक खाता को प्रस्तुत किया है और उसे बदलने का इच्छुक नहीं है तथा वह प्रस्तुत बैंक खाते वाले जिले का निवासी है तो सत्यापन केन्द्र में ही संबंधित आवेदक के निवास के पते में संशोधन कर दिया जाए जिससे आवेदक का आवेदन बैंक खाते वाले जिले में दिखने लगेगा। ऐसे आवेदक को उस जिले के सत्यापन केन्द्र में उपस्थित होने के लिए निर्देशित कर दिया जाए। आवेदकों के आवेदन पत्र के सत्यापन के लिए क्लस्टर टीम के सत्यापन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय के द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति/अस्वीकृति आदेश के लिए निर्धारित प्रपत्रों (प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3) में आंशिक संशोधन किया गया है। अतः निर्देशित है कि सत्यापन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया में पोर्टल में उपलब्ध बेरोजगारी भत्ता योजना की मार्गदर्शिका में उपलब्ध प्रपत्रों (प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3) का ही उपयोग किया जाए।

आईटीआई में नए व्यवसाय (ट्रेड) प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 तक

रायपुर (आरएनएस)। राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद अंतर्गत सत्र 2023 से आई.टी.आई. संबद्धता के लिए वर्तमान प्रचलित नियमों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट (निमी) पोर्टल पर 25 अप्रैल 2023 तक उपलब्ध रहेगी।

संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण ने बताया कि इच्छुक आवेदक जो नई एनसीव्हीटी आई. टी. आई. प्रारंभ करना चाहते हैं अथवा पूर्व में संचालित आई. टी. आई. में नये व्यवसाय (ट्रेड)/यूनिट्स प्रारंभ करना चाहते है अथवा पूर्व में संचालित आई. टी. आई. को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करना चाहते हो, वे नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट (निमी) पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया एफिलियेशन मैनुअल 2018 में वर्णित है। नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट (निमी) पोर्टल पर आवेदन करने का मतलब यह नही है कि सत्र 2023 के लिए संबद्धता प्रदान कर दी जाएगी। आवेदकों को आवेदन करते समय संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नवा रायपुर छत्तीसगढ़ से प्राप्त वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट (निमी) पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन करने के पूर्व आवेदक पोर्टल पर समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते है।

वन विभाग की बड़ी कार्यवाही टाइगर रिजर्व के जंगल से हटाया गया अवैध कब्जा

गरियाबंद (आरएनएस)। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के बफर जोन एरिया वन परिक्षेत्र इंदगांव के कक्ष क्रमांक 1216,1218, व 1222 में 2008 से हजारो हरे भरे पेड़ो को काट कर कोयबा के अलावा ओड़िशा एवं बाहर से आए ग्रामीणों ने सोरनामाल नाम की गांव बसा लिया था यहां 69 परिवार के लगभग 180 लोग मकान बनाकर निवास कर रहे थे ,आज गुरूवार को वन विभाग द्वारा एक बड़ी कार्यवाही करते हुए जंगल में अवैध कब्जा कर लगभग 450 से 500 एकड़ में बसाये गये गांव सोरनामाल के सभी 69 घरो में जेसीबी चलाई गई और मकानो को तोड़ा गया अब तक के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामले में यह सबसे बड़ी कार्यवाही है ,इस दौरान उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरूण जैन के साथ वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं वन अमला सैकड़ो की संख्या में उपस्थित थे। वन विभाग द्वारा आज टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जंगल से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी कार्यवाही करते हुए जहां 69 मकानो झोपडिय़ो को तोड़ा गया वही दूसरी ओर इस अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को शुरू करने से पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की छायाचित्र लगाकर एक संदेश भी दिया गया कि संविधान का अनुच्छेद 48 ए निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनो और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेंगा और बकायदा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पोस्टर लगाई गई वही देवगुड़ी एवं बाबा भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा यहां स्थापित है उसे सुरक्षित रखा गया साथ ही नलजल पानी टंकी को भी सुरक्षित रखा गया है।

गुलाब, जरबेरा, रजनीगंधा के महकते उपवन का खूबसूरत मंजर मनोहारी

❒ **शेडनेट हाऊस के लिए मिली 7 लाख 10 हजार रूपए की अनुदान राशि**

❒ **डेकोरेशन फ्लावर की मार्केट में बढ़ी डिमांड**

राजनांदगांव (आरएनएस)। गुलाब, जरबेरा, रजनीगंधा के महकते उपवन का खुबसूरत मंजर मनोहारी है। किस्म-किस्म के रंग-बिरंगे सुंदर फूलों से गुलजार यह बाग डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम कोलिहापुरी के प्रगतिशील किसान गिरीश देवांगन का है। फूलों की खेती से उनकी जिंदगी बदली है और उन्होंने उन्नति तथा समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। किसान गिरीश देवांगन ने बताया कि उन्हें शासन की योजना के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत पॉली हाऊस निर्माण के लिए 16 लाख 88 हजार रूपए का अनुदान मिला है तथा संरक्षित खेती के लिए 14 लाख रूपए का अनुदान मिला है। उन्होंने अपने खेतों में शानदार शिरडी गुलाब की वेरायटी लगाई है। वहीं पॉली हाऊस में जरबेरा की वेरायटी अंकुर, सिल्वेस्टर, दून, दानाएलन, व्हाइट हाऊस एवं फोब्रस लगाई है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उन्हें शेडनेट हाऊस के लिए 7 लाख 10 हजार रूपए की अनुदान राशि मिली है। जहां उन्होंने ड्रिप एवं मल्चिंग विधि से गेंदा लगाया है। उन्होंने बताया कि शेडनेट पद्धति से खेती करने में पौधों को 50 प्रतिशत धूप मिलती है और उनके लिए यह अनुकूल होता है। उन्होंने अपने खेतों में व्यापक पैमाने पर रजनीगंधा के फूल लगाए हैं।

किसान गिरीश देवांगन ने बताया कि उन्हें फूलों की खेती से लगभग 10 लाख रूपए की वार्षिक आमदनी हो रही है। प्रति फूल 2 रूपए के हिसाब से बिक्री हो रही है। फ्लावर डेकोरेशन के लिए इन फूलों की मार्केट में बहुत डिमांड है। यहां के फूल स्थानीय स्तर पर भेजने के साथ ही हैदराबाद, अमरावती, नागपुर, भुनेश्वर शहर भेज रहे हैं। उद्यानिकी विभाग से किसानों को मदद एवं तकनीकी मार्गदर्शन निरंतर मिल रहा है। कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देशन में जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सहायक संचालक उद्यानिकी राजेश शर्मा ने बताया कि शासन की शेडनेट योजना के बहुत फायदे हैं। जिले के लगभग 25 किसान अब तक इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। खेती किसानी के लिए शेड नेट पद्धति बहुत कारगर है। इससे फसल कीड़े एवं बीमारी से सुरक्षित रहती है। लंबे समय तक फसल के लगे रहने से किसानों को दुगुना मुनाफा हो रहा है। ऐसी फसल जो गर्मी के मौसम में नहीं ले सकते उसके लिए यह पद्धति उपयोगी है।

गंभीर बीमारियों के ईलाज के लिए मिल रही 20 लाख रूपए तक की सहायता

❒ **छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना**

❒ **मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से दिशान को मिली नई जिंदगी**

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गंभीर बीमारियों के ईलाज के लिए देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से अब तक 2643 मरीजों को सहायता दी गई है। इस योजना में मरीजों को ईलाज के लिए 20 लाख रूपए तक की सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना में गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, थैलेसीमिया मेजर, हीमोफिलिया, फेफड़े, कीडनी और लीवर ट्रांसप्लांट, कॉक्लीयर इम्प्लांट, हृदय, मस्तिष्क और मेरूदंड संबंधित जटिल ऑपरेशन के लिए राज्य के भीतर और राज्य के बाहर ईलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना 01 जनवरी 2020 से संचालित की जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल किया जा सकता है अथवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।

कोंडागांव जिला के केशकाल में रहने वाले इमरान आडवाणी के घर जब नन्हे दिशान ने जन्म लिया तो खुशी का माहौल था। परंतु जब दिशान चार माह का हुआ अचानक उसकी तबियत खराब हो गयी। चिकित्सकीय जांच में पता चला कि उसे थैलेसीमिया मेजर नामक गंभीर आनुवांशिक बीमारी है। खून की कमी के कारण दिशान का शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा था और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। बैंगलोर के चिकित्सकों ने बोनमैरो इम्प्लांट की सलाह दी। इसमें 40 लाख रूपए का खर्च होने की बात जानकर परिजनों ने दिशान को बचा पाने की अपनी उम्मीद भी खो दी थी। ऐसी निराशा की घड़ी में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना दिशान के जीवन में आशा की एक किरण बन कर सामने आई। परिवार के आवेदन करने के 15 दिवस के भीतर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 18 लाख रूपए की राशि दिशान के पिता के खाते में अंतरित कर दी गयी। बैंगलोर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज प्रारंभ हुआ। 6 माह के लम्बे चले उपचार के उपरांत दिशान ने अंतत: थैलेसीमिया मेजर जैसी गम्भीर आनुवांशिक बीमारी को हरा दिया और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। दिशान के स्वस्थ होने पर उनके परिजन बहुत ही खुश हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियां की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण : तीन गांवों में सर्वे पूरा

❒ **कलेक्टर सिन्हा ने सर्वे दलों को दी बधाई**

❒ **योजनाबद्ध तरीके से किए गए सामूहिक प्रयास से मिली सफलता**

❒ **दूसरे गांवों में भी तेजी से हो रहा सर्वे, ग्रामवासियों से अपील सभी जरूरी जानकारी रखें तैयार**

रायगढ़। एक अप्रैल 2023 से चलाए जा रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 अभियान के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से सर्वेक्षण का कार्य जिले में किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रायगढ़ जिले के तीन गांवों में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें रायगढ़ विकासखंड का भेलवाटिकरा और घरघोड़ा विकासखंड के दो गांव ग्राम पंचायत नवागांव के तेंदूभांठा एवं ग्राम पंचायत भेंगारी के खोखरोआमा में सर्वे पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से किए गए सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि जिले में तीन गांवों में सर्वे पूर्ण हो चुका है। उन्होंने गांवों में सर्वे कार्य पूर्ण होने पर प्रगणक, रोजगार सहायक, सरपंच, सुपरवाईजर को बधाई दी है।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार 01 अप्रेल से पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू हो गया। जो 30 अप्रैल तक चलेगा। कलेक्टर सिन्हा के निर्देशन एवं सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। जिसमें प्रगणक घर-घर संपर्क कर जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। इसी क्रम में गत दिवस कलेक्टर सिन्हा ने सर्वे का निरीक्षण भी किया था। उन्होंने सर्वे दलों से कहा था कि आपको मिले गांवों के घर के हिसाब से प्रतिदिन का सर्वे का लक्ष्य तय करके उसे पूर्ण करें, जिससे काम व्यवस्थित हो सके। साथ ही सुपरवाईजर्स को लगातार फील्ड की मॉनिटरिंग करने को कहा था। जिसके परिणाम स्वरूप आज रायगढ़ एवं घरघोड़ा विकासखण्ड के तीन गांवों का सर्वे का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया गया है। जिसमें जनपद पंचायत रायगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत भेलवाटिकरा में सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें 342 परिवार शामिल थे। इसी तरह घरघोड़ा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत नवागांव के तेंदूभांठा में निवासरत 87 परिवार एवं ग्राम पंचायत भेंगारी में खोखरोआमा में निवासरत 37 परिवारों का भी सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।